

काशी में एग्री जंक्शन केंद्र खुलेंगे

चर्चा में क्यों?

अधिकारियों के अनुसार, काशी में प्रशिक्षित युवा कृषकों के लिये 20 एग्री जंक्शन केंद्र खोले जाने हैं।

मुख्य बंदि

- चालू वतित वर्ष के लिये ज़लि का लक्ष्य युवा, प्रशिक्षित किसानों के लिये 20 एग्री जंक्शन केंद्र खोलना है।
- राज्य सरकार ने वर्ष 2016-17 में इस योजना की शुरुआत की थी। वर्ष 2016-17 से 2023-24 के बीच कुल 104 केंद्र खोले गए, जनिमें से 71 वर्तमान में सकरयि हैं।
 - कोई भी कृषिया कृषि व्यवसाय प्रबंधन स्नातक, जिसके पास किसी राज्य या केंद्रीय विश्वविद्यालय या भारतीय कृषि अनुसंधान परषिद (ICAR) या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय से कृषि और संबद्ध वषियों जैसे बागवानी, पशुपालन, वानिकी, डेयरी, पशु चकितिसा, मुरगीपालन तथा इसी तरह की गतविधियों में डगिरी है, वह एग्री जंक्शन केंद्रों की स्थापना हेतु आवेदन करने के लिये पात्र होगा।
- इसके अलावा, कृषि में अनुभवी डपिलोमा धारक, इंटरमीडिएट योग्यताधारी उम्मीदवारों पर भी वचिर कयि जाएगा।
- चयन के बाद लाभार्थियों को ग्रामीण व्यवसाय वकिस योजना (RIDP) में 13 दविसीय प्रशिक्षण भी दयि जाएगा।
 - RIDP व्यवसाय स्थानांतरण और वस्तितार प्रयासों को समर्थन देने हेतु स्थानीय वकिस नगिमें के माध्यम से अनुदान नधि प्रदान करता है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परषिद (The Indian Council of Agricultural Research- ICAR)

- इसकी स्थापना 16 जुलाई, 1929 को सोसायटी पंजीकरण अधनियिम, 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में की गई थी।
- यह कृषि अनुसंधान और शकिसा वषिग (Department of Agricultural Research and Education- DARE), कृषि तथा कसिन कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन है
- इसका मुख्यालय नई दलिली में है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

- यह 28 दसिंबर, 1953 को अस्तित्व में आया और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधनियिम, 1956 द्वारा विश्वविद्यालय शकिसा में शकिसण, परीक्षा तथा अनुसंधान के मानकों के समन्वय, निर्धारण एवं रखरखाव के लिये भारत सरकार का एक वैधानिक संगठन बन गया।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शकिसा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, केंद्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और दस अन्य सदस्यों की नयुक्ति करती है।
- अध्यक्ष का चयन ऐसे व्यक्तियों में से कयि जाता है जो केंद्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधिकारी नहीं होते।